बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक–सं०सं०–रे० / यो० स्वी०–6 / 18 1400 दिनांक 28.03.18

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार *

विषय :– मुंगेर एवं नवादा जिलों के अनुसूचित जाति के लाभुकों को निजी भूमि में तसर खाद्य पौधारोपण हेतु वर्ष 2017–18 में रु0 1,70,00,000/– (एक करोड़ सत्तर लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुंगेर एवं नवादा जिलों के अनुसूचित जाति के लाभुकों को निजी भूमि में तसर खाद्य पौधारोपण हेतु वर्ष 2017–18 में रु0 1,70,00,000/– (एक करोड़ सत्तर लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि रु0 1,70,00,000/– (एक करोड़ सत्तर लाख) मात्र का व्यय मुख्य शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 0105–पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना रेशम का विकास, विपत्र कोड 23-2851007890105 के अन्तर्गत विषय शीर्ष –0105.02.01 मजदूरी मद से विकलित होगा।

3. योजना का कार्यान्वयन/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं स्वीकृत राशि निम्नवत् होगा–

राशि रू0 लाख में

क्र0 सं0	कार्यान्वयन / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार	इकाई लागत (प्रति हे0)	भौतिक लक्ष्य (हे0)	स्वीकृत राशि
1	अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, कौवाकोल, नवादा	नवादा	40000	300	120.00
2	अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, गंगटामोड़, मुंगेर	मुंगेर	40000	125	50.00
	कुल				**170.00**

(कुल रू0 एक करोड़ सत्तर लाख)

4. स्वीकृत राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5. स्वीकृत राशि की एकमुश्त निकासी BTC Form 26 में की जाएगी।

6. इस योजना का कार्यान्वयन Manual of catalytic Development Program (Centrally Sponsored Scheme) XII Five Year Plan (2012-17) के अनुसार की जाएगी। 25 लाभुकों का एक समूह होगा। लाभुकों एवं सामग्री आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान DBT के माध्यम से किया जाएगा। सामग्री का वितरण संबंधित जिले के महाप्रबंधक एवं पंचायत समिति द्वारा नामित सदस्य की उपस्थिति में किया जाएगा। साथ ही वितरण पंजी के संधारण के क्रम में लाभुकों का आधार संख्या दर्ज करना अनिवार्य होगा। लाभुक चयन एवं क्रय की जाने वाली सामग्रियों/उपकरणों का दर निर्धारण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। लाभुक सूची एवं Assets Register का संधारण कर प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में निदेशालय को हार्ड/सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराई जाएगी।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे। वे इस योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।

8. यह राज्यादेश संचिका संख्या– रे0 / यो0 स्वी0–6 / 18 के पृष्ठ 04 / टि0 पर दिनांक 27.03.2018 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

9. राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग का अनुमोदन प्राप्त है।

10. राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– रे0 / यो0 स्वी0–6 / 18 1400 *पटना, दिनांक*– 28-03-18

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, नवादा / मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– रे0 / यो0 स्वी0–6 / 18 1400 *पटना, दिनांक*– 28-03-18

प्रतिलिपि– अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, कौवाकोल, नवादा / गंगटामोड़, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– रे0 / यो0 स्वी0–6 / 18 1400 *पटना, दिनांक*– 28-03-18

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना / उद्योग निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, ह०रे०, बिहार, पटना / आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, मुंगेर एवं नवादा / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुंगेर एवं नवादा / योजना शाखा, उद्योग विभाग / बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

M/Rajyadesh